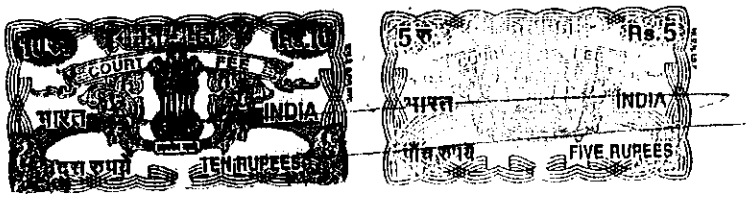

न्यायालय श्री मान राजस्व मंडल ग्वालियर मध्य प्रदेश

प्र0 क्र0 /2013 रिवीजन R-3819-I/13

श्री मति मीना जैन बेवा राकेशकुमार
जाति जैन निवासी मोहल्ला बायपास
पुरीगंज वार्ड नं. 1 गंज बासौदा जिला
विदिशा म0प्र0 ------ रिवीजनकर्ता

बनाम

1 :- अशोककुमार पुत्र कपूरचंद जाति जैन
निवासी वार्ड नं. 1 गंज बासौदा

2 :- श्री मति शांतिबाई बेवा निर्मलकुमार
जाति जैन निवासी वार्ड नं. 1 गंजबासौदा

3 :- धर्मेन्द्रकुमार पुत्र निर्मलकुमार जाति
जैन निवासी वार्ड नं. 1 गंज बासौदा

4 :- आकाश पुत्र राकेशकुमार जाति जैन
5 :- अभिषेक पुत्र राकेशकुमार जैन
6 :- वर्षा पुत्री राकेशकुमार जाति जैन
7 :- नीता पुत्री राकेशकुमार जाति जैन
8 :- कु, निकिता पुत्री राकेशकुमार ना,बा,
9 :- कु,आयुषी पुत्री राकेशकुमार ना,बा,
द्वारा संरक्षक मां मीना जैन बेवा राकेशकुमार
10 :- श्री मति सुलोचना पुत्री कपूरचंद
11 :- श्री मति विमलाबाई पुत्री कपूरचंद
जाति जैन निवासी वार्ड नं. 1 गंजबासौदा
12 :- श्री मति ओमवती पत्नि दीनदयाल
जाति ब्राह्मण निवासी गंज बासौदा
जिला विदिशा म0प्र0 --- प्रति, रिवी, कर्ता

---------------- 2

[illegible](a) BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश -- ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ..........

प्रकरण क्रमांक 3819-एक / 2013 निगरानी — जिला विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों / अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
[illegible].16	यह निगरानी तहसीलदार गंज बासौदा जिला विदिशा के प्रकरण क्रमांक 47 अ-27 / 2012-13 में पारित आदेश दिनांक 11-10-2013 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के तहत पेश हुई है।	
	2/ प्रकरण सारांश यह है कि अनावेदक अशोक कुमार ने ग्राम देहलावर की आराजी नंबर 484/2/1, 485/2/1, 485/2/2/1 कुल किता 3 कुल रकबा 0.834 हैक्टेयर के बटवारे का आवेदन पेश किया। तहसीलदार ने प्रकरण क्रमांक 47 अ 27/2012-13 पर कार्यवाही प्रारंभ की, जिसकी प्रचलनशीलता पर आवेदक ने आपत्ति की। आपत्ति आवेदन पर से तहसीलदार गंज बासौदा ने आदेश दिनांक 11-10-2013 पारित किया एवं आवेदक की आपत्ति निरस्त कर दी। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।	
	3/ आवेदक के अभिभाषक श्री के०के०द्विवेदी के तर्क सुने गये। अनावेदकगण के अभिभाषक श्री एस०एस०वर्मा ने 10 दिवस में लिखित बहस देने का आश्वासन दिया, किन्तु आदेश पारित होने तक उनके द्वारा लिखित बहस नहीं दी गई।	
	4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्कों के क्रम में तहसीलदार गंज बासौदा जिला विदिशा के प्रकरण क्रमांक 47 अ-27/2012-13 में संलग्न आपत्ति आवेदन का अवलोकन किया गया तथा उस पर से तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 11-10-2013 देखा गया। तहसीलदार द्वारा आवेदक की आपत्ति के संबंध में आदेश के अंत में इस प्रकार निर्णय लिया है :-	
	" अनुविभागीय अधि० महोदय के न्यायालय में अपील का हवाला देकर पेश किया गया था किन्तु उन्हीं के न्यायालय के प्र०क० 225 अ-2/12-13 दिनांक 2-9-13 द्वारा आवेदक के पक्ष में आवेदित खसरा नंबर के अंश भाग 0.146 है. को आवेदक के स्वत्व हक में मानकर आधिपत्य स्वीकृत कर दिया है यानि पूर्व में लगी रोक स्वयं हट चुकी है। ऐसे में आवेदक	

प्रकरण क्रमांक 3819-एक/2013 निगरानी के आवेदन पर प्रकरण चालू किया गया है इसका निराकरण गुणदोषों के आधार पर होना है। अस्तु दिनांक 12-8-13 के आदेश को निरस्त करते हुये प्रकरण को पुनः प्रचलन में लिया जाता है । जबाव अनावेदक द्वारा पेश किया जा चुका है। अनावेदक की आपत्ति निरस्त की जाती है। "

तहसीलदार के प्रकरण में आवेदक द्वारा प्रस्तुत आपत्ति दिनांक 8-10-13 संलग्न है जिसमें आपत्ति की गई है कि बटवारा प्रकरण में अंतिम आदेश पारित किया जा चुका है वह श्रीमान द्वारा पारित किया गया है इसलिये पुनः उक्त प्रकरण में किसी प्रकार की कार्यवाही करने का क्षेत्राधिकार श्रीमान को नहीं है। आपत्ति का अन्य बिन्दु यह है कि वर्तमान में खाता सामिलाती है बटवारे के उपरांत भूमि का संव्यवहार हो जाने से अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिये आदेश का उल्लंघन होगा इसलिये बटवारे की कार्यवाही आगे नहीं चलाई जा सकती। अन्य आपत्ति यह है कि अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 9-1-13 में उल्लेख किया है कि भूमि के संबंध में कमिश्नर के यहां अपील गतिशील है, के निर्णय तक उक्त आराजी नंबरान पर यथास्थिति बनाये रखें और किसी प्रकार का संव्यवहार न करें। तहसीलदार के आदेश दिनांक 11-10-13 में इन आपत्तियों पर Speaking Order पारित नहीं किया गया है एवं आपत्ति के प्रत्येक बिन्दु को स्पष्ट नहीं किया है तथा आपत्ति किन आधारों पर निरस्त की है आधार नहीं दर्शाए गए है जिसके कारण तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 11-10-13 दोषपूर्ण है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार गंज बासोदा जिला विदिशा के प्रकरण क्रमांक 47 अ-27/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 11-10-2013 दोषपूर्ण पाये जाने से निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार की ओर इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह आपत्ति आवेदन के सम्बन्ध में उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर देकर पुनः Speaking Order पारित करें।

सदस्य